यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 13.03.2018 से 19.03.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 10.12.2016 से 23.12.2016 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 01/2015 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 02/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा चिकित्सालय में आने वाले समस्त रोगियों का ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, ईलाज, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन एवं निरीक्षण किया जाता है। चिकित्सालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय में आने वाले समस्त रोगियों से है जिनका ईलाज चिकित्सालय में किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	493.77	493.77	1323.93	1323.93	–	–	–	–
2016–17	–	–	654.73	654.73	1248.42	1248.42	–	–	–	–
2017–18 (02/2018 तक)	–	–	–	–	1566.31	1433.95	–	–	–	132.36

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	एन0एच0एम0 इत्यादि	67.00	40.98	87.64	–	20.34
2016–17		20.34	121.51	121.41	–	20.44
2017–18 (02/2018 तक)		20.44	36.22	43.56	–	13.10

(iii) चिकित्सालय को कार्यालय अधिष्ठान हेतु विभागीय बजट आबंटन महानिदेशक के स्तर तथा योजनाओं हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

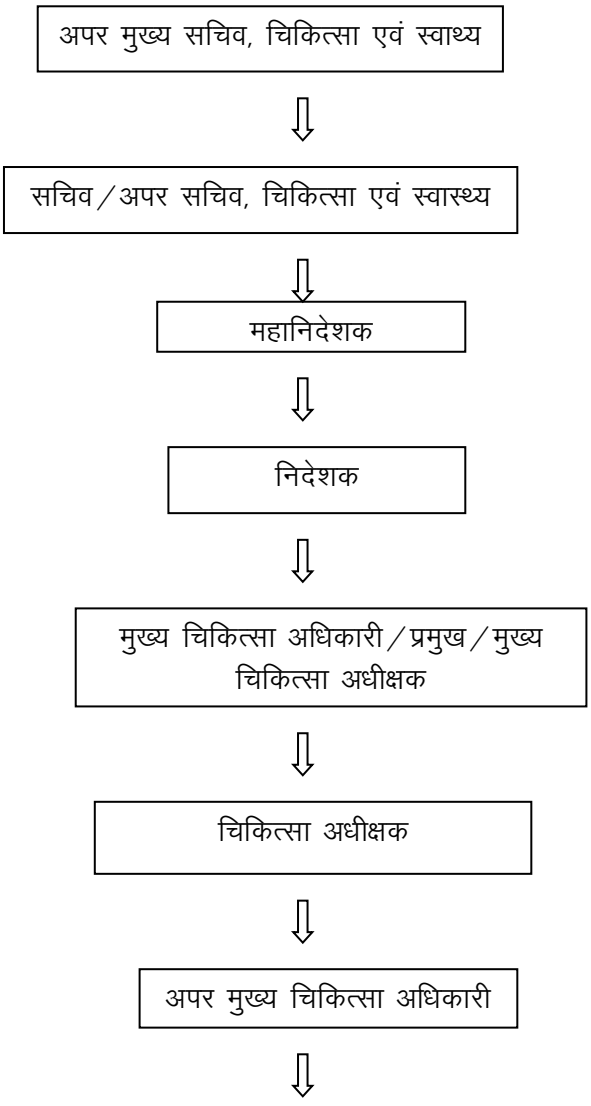

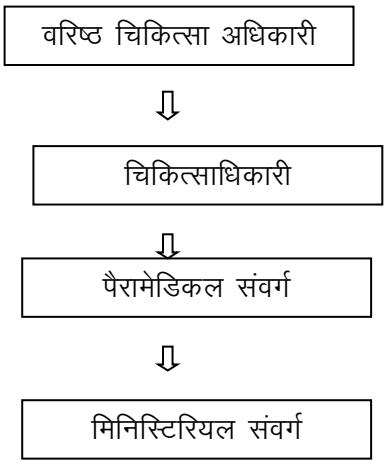

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मई 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत रु0 9.76 लाख का अधिक भुगतान।

समस्त नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी केन्द्र के पुनर्वास, उन्नयन, संचालन एवं प्रबन्धन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून एवं मै0 नैफ्रोलॉजी स्वास्थ्य सेवायें प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के साथ लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership) के अन्तर्गत संचालन हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए एक रियायत अनुबन्ध (Concession Agreement) किया गया (20 फरवरी 2017)। रियायत अनुबन्ध के शिड्यूल–3 के अनुसार फर्म (i) रोगियों की सुविधा हेतु टेलीमेडिसन खण्ड या कोई अन्य ब्यवस्था के माध्यम से तकनीक स्थापित करेगी (बिन्दु सं0 3.4), (ii) आउटसोर्सिग के माध्यम से नैफ्रोलॉजी केन्द्र से जुडे जॉचों हेतु पैथोलॉजी लैब का प्रबन्धन करेगी (बिन्दु सं0 3.5) तथा नैफ्रोलॉजी केन्द्र में आई0पी0 वार्ड स्थापित करेगी (बिन्दु सं0 3.6), (iii) नेफ्रोलॉजी केन्द्र में न्यूनतम 19 मेडिकल एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर करेगी (बिन्दु सं0 7.2), (iv) कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सॉफ्टवेयर के साथ जी0पी0एस0 सक्षम बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करनी होगी तथा समस्त कार्मिकों द्वारा प्रत्येक दिन ड्यूटी के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज करनी होगी तथा बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना होगा ताकि आवश्यकता पडने पर शासन द्वारा भी इसका संज्ञान लिया जा सके (बिन्दु सं0 7.7), (v) अनुच्छेद–5 के अनुसार प्राइवेट पार्टनर को सेवायें प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय अनुदान (Government Grant) रु0 197.67 प्रति ए0पी0एल/बी0पी0एल0 रोगी एवं बी0पी0एल0 रोगी हेतु उपयोगित (Consumable) की प्रतिपूर्ति की जायेगी परन्तु यदि अनुबन्धित फर्म शिड्यूल–3 के क्रमांक 8 में उल्लिखित मुख्य निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicator) को प्राप्त नहीं करता है तो प्रत्येक माह के बिल से निर्धारित दण्ड वसूला जाएगा (पैरा–8.1) एवं (vi) विभाग नेफ्रोलॉजी केन्द्र की गतिविधियों हेतु एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा जो प्रत्येक तिमाही में केन्द्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन कर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगी (पैरा–5.4)।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित नैफ्रोलॉजी केन्द्र से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों एवं चिकित्सालय के भुगतान देयकों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुबन्धित फर्म द्वारा रियायत अनुबन्ध में प्रावधानित आवश्यक अनुबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया और चिकित्सालय द्वारा के0पी0आई0 के अनुरुप निर्धारित दण्ड की कटौती नहीं की गयी। परिणामतः न केवल अनुबन्ध के

प्रावधानों का उल्लंघन किया गया अपितु कटौती न कर मार्च 2017 से दिसम्बर 2017 तक कुल रु0 9.76 लाख का अधिक भुगतान किया गया **(संलग्नक–1)**। उल्लंघन किए गये आवश्यक प्रावधानों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. रोगियों की सुविधा हेतु टेलीमेडिसन की कोई ब्यवस्था नहीं है तथा पैथोलॉजी जॉचों हेतु केन्द्र द्वारा कोई लैब प्राधिकृत नहीं किया गया है जिसके कारण रोगियों को किसी भी लैब से जॉच करानी पडती है।

2. फर्म द्वारा नैफ्रोलॉजी केन्द्र में आई0पी0 वार्ड स्थापित नहीं किया गया है।

3. नेफ्रोलॉजी केन्द्र में न्यूनतम 03 चिकित्सको की तैनाती आवश्यक थी परन्तु ऑनलाईन उपस्थिति पंजिका के अनुसार अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक एकमात्र चिकित्सक की ही तैनाती की गयी थी। अन्य चिकित्सक की तैनाती उपस्थिति पंजिका के अनुसार 7 अक्टूबर 2017 से की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सकों की तैनाती की पुष्टि न तो उपस्थिति पंजिका एवं न ही बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से हो पायी है।

4. विभाग द्वारा अनुबन्ध में प्रावधानित निगरानी तंत्र एक वर्ष पश्चात् भी स्थापित नहीं किया गया एवं न ही केन्द्र की गतिविधियों का कभी मूल्यांकन किया गया।

5. चिकित्सालय द्वारा के0पी0आई0 हेतु निर्धारित मानकों का पूर्ण रुप से क्रियान्वयन न किए जाने के बावजूद प्रस्तुत देयकों में कटौती किए जाने हेतु न तो कोई अनुशंसा की गयी एवं न ही इस हेतु फर्म को कोई कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। जो यह पुष्टि करता है कि चिकित्सालय द्वारा बिना निर्धारित मानकों की पुष्टि किए ही देयकों को अग्रसारित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित चिकित्सक प्रमुख अधीक्षक के दैनिक भ्रमण एवं यूनिट के औचक निरीक्षण के दौरान कार्य पर पाए गये। बॉयोमीट्रिक एवं उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार बॉयोमीट्रिक एवं उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर के अनुसार ही के0पी0आई0 में निर्धारित कटौती की जानी चाहिए थी जो कि चिकित्सालय द्वारा नहीं की गयी। परिणामतः रु0 9.76 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

अतः अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत रु0 9.76 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

1. बॉयोमीट्रिक उपस्थिति एवं उपस्थिति पंजिका के अनुसार विवरण

Sl. No.	Designation of clinical staff	Number of days of absence									
		March 2017	April 2017	May 2017	June 2017	July 2017	Aug 2017	Sept 2017	Oct 2017	Nov 2017	Dec 2017
1.	MD Medicine	0	30	31	30	31	31	30	6	0	0
2.	GD Medical Officer	0	0	0	0	0	01	0	0	8	10
3.	GD Medical Officer	6	30	31	30	31	31	30	31	1	1
	Total :	**6**	**60**	**62**	**60**	**62**	**63**	**60**	**37**	**09**	**11**

2. के0पी0आई के अनुसार की जाने वाली कटौती

Month	No. of days absence	Monthly salary	Salary of the employee absent per day	KPI = Salary of the employee absent per day x no. of days absent x 1.5
March 2017	06	48000	1548	1548 x 6 x 1.5 = 13932
April 2017	30	100000	3333	3333 x 30 x 1.5 = 149985
	30	48000	1600	1600 x 30 x 1.5 = 72000
May 2017	31	100000	3333	3333 x 31 x 1.5 = 154985
	31	48000	1548	1548 x 31 x 1.5 = 71982
June 2017	30	100000	3333	3333 x 30 x 1.5 = 149985
	30	48000	1600	1600 x 30 x 1.5 = 72000
July 2017	31	100000	3333	3333 x 31 x 1.5 = 154985
	31	48000	1548	1548 x 31 x 1.5 = 71982
August 2017	31	100000	3333	3333 x 31 x 1.5 = 154985
	31	48000	1548	1548 x 31 x 1.5 = 71982
	01	48000	1548	1548 x 01 x 1.5 = 2322
September 2017	30	100000	3333	3333 x 30 x 1.5 = 149985
	30	48000	1600	1600 x 30 x 1.5 = 72000

October 2017	06	100000	3333	3333 x 06 x 1.5 = 29997
	31	48000	1548	1548 x 31 x 1.5 = 71982
November 2017	08	48000	1548	1548 x 08 x 1.5 = 18576
	05	48000	1600	1600 x 05 x 1.5 = 12000
December 2017	10	48000	1548	1548 x 10 x 1.5 = 23220
	01	48000	1548	1548 x 01 x 1.5 = 2322

3. देयकों के अनुसार भुगतान विवरण

Month	**Bill amount**			**Amount required to be deducted**	**Amount required to be paid**	**Amount deducted by the Deptt.**	**Amount paid by the Deptt.**	**Excess amount paid**
	Govt. Grant	**Consumable expenses**	**Total**					
March 2017	168810	1188011	1356821	13932	1342889	28800	1328021	- 14868
April 2017	441595	2580539	3022134	221985	2800149	72000	2950134	149985
May 2017	453653	2645472	3099125	226967	2872158	71982	3027143	154985
June 2017	412933	2423490	2836423	221985	2614438	72000	2764423	149985
July 2017	422025	2857397	3279422	226967	3052455	71982	3207440	154985
August 2017	417084	2878715	3295799	229289	3066510	71982	3223817	157307
September 2017	402456	2743186	3145642	221985	2923657	72000	3073642	149985
October 2017	402851	2888139	3290990	101979	3189011	71982	3219008	29997
November 2017	381305	2730080	3111385	30576	3080809	12000	3099385	18576
December 2017	402851	2989379	3392230	25542	3366688	0	3392230	25542
Total :	**3905563**	**25924408**	**29829971**	**1521207**	**28308764**	**544728**	**29285243**	**976479**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 21.44 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुई हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII–3–2013–142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों का वेतन उच्चीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के दिशा– निर्देश के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण दिनॉक 31.12.2015 की स्थिति को लेते हुए वेतन + ग्रेड वेतन को 2.57 गुणांक से गुण किया जाएगा। इसप्रकार प्राप्ति राशि नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इसप्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका को संशोधित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया किः–

1. दस चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों क्रमशः श्री हरीश चन्द कुराल, श्री पूरण चन्द जोशी, श्री राजेन्द्र सिंह आरी, श्री मदन मोहन जोशी, श्री टी0आर0 आजाद, श्री कृष्ण राम आर्य, श्री निरंजन कुमार शाह, श्री एन0सी0 तिवारी, श्री किशन सिंह गरिया एवं श्री पवन कुमार पाण्डे का वेतन दिनॉक 31 दिसम्बर 2013 के शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया है वल्कि चिकित्सालय द्वारा उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण ग्रेड वेतन के न्यूनतम के आधार पर किया गया, जो कि पूर्णरुप से त्रुटिपूर्ण है। परिणामतः उक्त 10 चीफ फार्माशिष्टों/फार्माशिष्टों को 31.12.2013 से 01.01.2018 तक रु0 19,41,440[1] का अधिक भुगतान किया गया।

2. चार कार्मिकों क्रमशः श्रीमती नीलम राजेन्द्र सिंह, सिस्टर, श्रीमती एस0 सक्सैना, स्टाफ नर्स, श्रीमती डी0 तिवारी, सिस्टर एवं श्रीमती प्रमा डंगवाल, डब्ल्यू0ए0 का 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण माह जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार किया गया जबकि नियमानुसार वेतन निर्धारण 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार होना चाहिए था। परिणामतः उक्त चारों कार्मिकों को माह जनवरी 2016 से फरवरी 2018 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन के रुप में रु0 2,02,800[2] का वेतन अधिक दिया गया।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणामस्वरुप 14 कार्मिकों को रु0 21.44 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि वेतन निर्धारण शासनादेशों में निर्गत निर्देशों के अनुसार ही किया गया है फिर भी प्रकरण संज्ञान में आने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुनः समीक्षा कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किए गये हैं एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 21.44 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] श्री हरीश चन्द कुराल : रु0 188187, श्री पूरण चन्द जोशी : रु0 265663, श्री राजेन्द्र सिंह आरी : रु0 193596, श्री मदन मोहन जोशी : रु0 212926, श्री टी0आर0 आजाद : रु0 224168, श्री कृष्ण राम आर्य : रु0 249680, श्री निरंजन कुमार शाह : रु0 243140, श्री एन0सी0 तिवारी : रु0 181005, श्री किशन सिंह गरिया : रु0 75190 एवं श्री पवन कुमार पाण्डे : रु0 207885

[2] श्रीमती नीलम राजेन्द्र सिंह : रु0 59800, श्रीमती एस0 सक्सैना : रु0 59800, श्रीमती डी0 तिवारी : रु0 59800 एवं श्रीमती प्रमा डंगवाल : रु0 23400

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 2.50 लाख कम जमा किया जाना।

उत्तराखण्ड के जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा शासनादेश संख्या 715/XXVIII-5-2010-101/2009 दिनांक 21 जून 2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था, साथ ही चिकित्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सालय संचालनार्थ चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के यूजर चार्जेज से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा लेखापरीक्षा अवधि दिसम्बर 2016 से फरवरी 2018 तक केन्द्रीयकृत विलिंग/ओ0पी0डी0/प्राईवेट वार्ड से प्राप्त यूजर चार्जेज की धनराशि एवं राजकोष/चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा धनराशि में रु0 2,50,098 का अन्तर था। अन्तर का विवरण निम्नवत् हैः–

माह	केन्द्रीयकृत विलिंग द्वारा एकत्रित यूजर चार्जेज	ओ0पी0डी0 द्वारा एकत्रित यूजर चार्जेज	प्राईवेट वार्ड	योग	राजकोष में जमा की गयी धनराशि	चिकित्सा प्रबन्धन में जमा की गयी धनराशि	योग
12/2016	1159680	424711	3990	1588381	720494	720493	1440987
01/2017	1063687	456722	5910	1526319	715101	715101	1430203
02/2017	1076409	443707	10255	1530371	762117	762119	1524236
03/2017	1450111	512677	12320	1975108	1059215	1059215	2118432
04/2017	1303575	471086	15236	1789897	850943	850943	1701888
05/2017	1335480	508288	17873	1861641	920932	920932	1841866
06/2017	1196851	463391	8497	1668739	818684	818684	1637373
07/2017	974016	484840	8790	1467646	738598	738598	1477200
08/2017	1167117	497857	2051	1667025	845684	845684	1691372
09/2017	987685	428012	9669	1425366	613998	613998	1227999
10/2017	976919	425147	4395	1406461	699273	699273	1398549
11/2017	1082269	431737	4395	1518401	803859	803859	1607720
12/2017	1036198	413706	7618	1457522	684263	684263	1368529
01/2018	922848	410886	1932	1335666	743353	743353	1486708
02/2018	981717	449757	4508	1435982	652903	652904	1305807
योग :–	**16714562**	**6822524**	**117439**	**23654525**	**11629417**	**11629419**	**23258869**

जॉच में आगे पाया कि फरवरी 2018 माह के अन्तिम कार्य दिवसों से प्राप्त राशि रु0 1,45,558 आगामी माह मार्च 2018 में जमा किया गया। अतः कुल अन्तर की राशि रु0 3,95,656 में से रु0 1,45,558 को घटाकर वास्तविक अन्तर रु0 2,50,098 रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि अन्तर के कारणों की अभिलेखों से पुनः समीक्षा की जायेगी तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुरुप ही धनराशि का मिलान पूर्व में ही किया जाना चाहिए था।

अतः यूजर चार्जेज के रुप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 2.50 लाख कम जमा किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 अदावेदारी धनराशि रु0 1.97 लाख को समेकित निधि में जमा न किया जाना।

प्राप्ति एवं भुगतान नियम 189 (b) के अनुसार निक्षेप में पडी समस्त अवशेष धनराशि यदि तीन वर्ष से अधिक समय तक दावारहित होती है तो उसे शासन के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल के रोकड–बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय के पास रु0 1.97 लाख की दावारहित धनराशि तीन वर्ष से अधिक समय से पडी हुई थी, जिसे नियमानुसार राज्य समेकित निधि में जमा कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार की धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	कम्पनी/ठेकेदार का नाम	खाता संख्या	जमा की तिथि	धनराशि
1.	मै0 हिमालयन सर्जिकल्स, हल्द्वानी	379344	26.12.2014	60000.00
2.	मै0 सूर्य मेडिकल्स एवं सर्जिकल्स, हल्द्वानी	289369	27.08.2013	5000.00
3.	मै0 राज सर्जिकल्स, हल्द्वानी	289245	31.07.2013	39000.00
4.	मै0 महालक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स, काशीपुर	341670	26.07.2013	39000.00
5.	मै0 महालक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स, काशीपुर	341669	26.07.2013	54000.00
योगः–				**197000.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित फर्मों द्वारा आवेदन न किए जाने के कारण धनराशि वापस नहीं की गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान नियमानुसार तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् उक्त धनराशि समेकित निधि में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः अदावेदारी धनराशि रु0 1.97 लाख को समेकित निधि में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
2014–15	1	1, 2, 3 एवं 4	–
115 / 2016–17	–	1, 2, 3, 4 एवं 5	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2014–15	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
115 / 2016–17	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

—— शून्य ——

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
(ii) } पूर्व लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 एम0एस0 बोहरा	प्रमुख अधीक्षक	09.07.2016 से 20.05.2017
2.	डा0 एस0बी0 ओली	– तदैव –	20.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.